<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/5804/2000/जोधपुर

1. पतासी देवी पत्नि खिमराज उर्फ भंवरलाल जाति सुनार निवासी पीपाडसिटी तहसील बिलाडा जिला जोधुपर मृतक जरिये वारिसान..

   1/1 पासरमल पुत्र

   1/2 सुभाष चन्द पुत्र

   1/3 अनिल कुमार पुत्र

   1/4 दुर्गा देवी पुत्री

   1/5 पुष्पा देवी पुत्री

   1/6 जशोदा देवी पुत्री

   1/7 संतोष पुत्री

   1/8 मनोज पुत्र पृथ्वीराज पुत्र पतासी देवी (दत्तक पुत्र)

   समस्त जाति सुनार निवासी पीपाडसिटी तहसील बिलाडा जिला जोधुपर।

अपीलांटस....

बनाम

1. डिविजनल सुपरिटेन्डन्ट इंजीनियर उत्तर रेलवे, जोधपुर।
2. भारत संघ जरिये जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस, नई दिल्ली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिलाडा।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश,जोधपुर।

रेस्पो0 ....

<u>खण्डपीठ</u>
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक अपीलांट
श्री बसन्त विजयवर्गीय, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः 25.06.2025

1– यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर दिनांक 07–09–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट की माता श्रीमती पतासी/वादीया द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए, 187 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर, बिलाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपाड के खसरा न. 1502/3 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीया की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में पानी बेवा आसूराम नाई की खातेदारी की थी जिसे वादिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 0.4.12.1976 को खरीदा था। जुलाई 1979 में बाढ आने से पीपाड शहर के पास बनी रलवे लाइन के पास बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे विभाग द्वारा इस पुल की सुरक्षा दीवार बनाई गई तो वादिया के खेत की 6 बीघा भूमि काम में ले ली गयी तथा शेष बची 10 बीघा भूमि भी काश्त के उपयोग की नहीं रही है। इसलिए वादिया ने अपनी कृषि भूमि का मुआवजा व कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बिलाडा ने दावा, जवाबदावा व गवाहों के बयान लेकर तनकीयात कायम करते हुये वादिया का वाद अपने निर्णय व डिक्री 25.4.89 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.89 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील न्यायायल राजस्व अपील प्राधिकारी,(प्रथम) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2000 अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.89 निरस्त कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में वादिया ने क्रॉस ऑबजेक्शन प्रस्तुत किया था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.9.2000 में वादिया द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑबजेक्शन को निर्णित नहीं किया गया। वादिया ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07.9.2000 के विरूद्ध राजस्व मंडल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। राजस्व मंडल की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 19.4.07 द्वारा प्रकरण आदेश 41 नियम 25 सी0पी0सी0 के तहत अपीलीय न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि तनकी संख्या 11 व 12 को निर्णित कर निर्णय के प्रति मंडल के समक्ष प्रेषित करे। तत्पश्चात अपीलीय न्यायालय

दिनांक 30.7.2007 एकपक्षीय बहस सुनते हुये तनकी संख्या 11 व 12 को निर्णित कर प्रकरण राजस्व मंडल को प्रेषित किया। जिसके विरूद्ध वादिया पतासी ने आदेश 41 नियम 26 सी0पी0सी0 के तहत ऐतेराज प्रस्तुत किया। जिसे मंडल ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2016 से प्रकरण पुनः इस आदेश के साथ अपीलीय न्यायालय को प्रेषित किया कि वह दोनों पक्षों को सुनकर तनकी संख्या 11 व 12 का निर्णित कर निर्णय की प्रति मंडल के समक्ष प्रस्तुत करे। मंडल के उक्त आदेश के आलोक में अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2019 को पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर तनकी संख्या 11 व 12 को निर्णित करते हुये निर्णय की प्रति मंडल के समक्ष प्रस्तुत की है। तत्पश्चात उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा न0 1502/3 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म बारानी सोयम अपीलांट्स की माता पतासी/वादिनी की खातेदारी की भूमि है। यह भूमि वादिनी ने पूर्व खातेदार मु0 पानी बेवा आसूराम जाति नाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.12.1976 को क्रय की है जिसमें पूर्व से कुआॅ भी बना हुआ है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादिया के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 977 दिनांक 09.12.1976 तहसीलदार, बिलाडा द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस आधार पर वादिया विवादित आराजी की एक मात्र खातेदार कृषक व उपभोक्ता थी। माह जुलाई वर्ष 1979 में बाढ आ जाने से जोधपुर के पीपाडाशहर में भारी मात्रा में नुकसान हुआ इसमें रेलवे लाइन के पास बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे विभाग द्वारा इस पुल की सुरक्षा दीवार बनाई गई तो वादिया के खेत की 6 बीघा भूमि काम में ले ली गयी तथा शेष बची 10 बीघा भूमि भी काश्त के उपयोग की नहीं रही है। रेलवे विभग को सुरक्षा दीवार बनाने हेतु उसकी भूमि अधिग्रहण करने की अधिसूचना प्रसारित करनी चाहिए थी तत्पश्चात अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि निर्धारित कर उसे नोटिस देकर उसे क्लेम प्रस्तुत किये जाने बाबत कहते। परन्तु रेलवे विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। इसलिए वादिया ने अपनी कृषि भूमि का मुआवजा व कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा, जवाबदावा दोनेां पक्षों के गहवान के बयान लिये जाकर तनकीयात कायम करते हुये तनकीवार निर्णय करते हुये वादी का वाद डिक्री किया करते हुये वादिया को

दिये जाने वाले मुआवजे की राशि कुल रूपये 74,400/– निर्धारित किये। विचारण न्यायालय ने पूर्ण विवेचन व परीक्षण करने के उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित किया था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि खसरा नं0 1502 रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन नदी स्थित है। नामांतरकरण संख्या 218 के अुनसार इसमें से 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि पानी पत्नि आसूराम नाई के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त दस्तावेज की टिप्पणी में अंकित है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार तहसील आदेश 27 दिनांक 15.01.1968 मि0 283/1965 के द्वारा खातेदारी हक प्रदान किया गया है। इस आधार मु0पानी के नाम खातेदारी दर्ज हुई। मु0 पानी द्वारा उक्त भूमि रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा का विक्रय वादिया पतासी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया। इस आधार पर वादिया पतासी का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप मे दर्ज है। उक्त तथ्यों के आधार पर ही विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया था परन्तु अपीलीय न्यायायल ने अपने विधि विरूद्ध आदेश से उसे अपास्त कर दिया जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेलवे की सुरक्षा दीवार जिस भूमि पर बनाई गई है वह किसी के खातेदारी की भूमि नहीं होकर गै0मु0 नदी की भूमि है। मु0 पानी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे। यदि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज हो भी गया तो वह गैर कानूनी तौर पर दर्ज हुआ है। इसी आधार पर वादिनी को भी विवादित आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। अतः जब खातेदारी अधिकार ही सिद्व नहीं होते तो वादिनी मुआवजा राशि प्राप्त करने की हकदार भी नहीं मानी जा सकती है। गैर मु0 नदी के खसरा नं0 1502 मे धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यदि मु0 पानी या पतासी का कब्जा था तो वह केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से था। जिन्हें खातेदारी अधिकार या मुआवजा नहीं मिल सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि यद्यपि वादिनी पतासी के नाम खसरा नं0 1502 की 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज है जो उसने मु0 पानी बेवा आसूराम से

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी, किन्तु गैर0मु0 नदी पेटा की भूमि में तहसीलदार द्वारा मु0 पानी को खातेदारी अधिकार ही गैर कानूनी रूप से दिये गये है। क्योंकि तहसीलदार को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा गै0मु0नदी की भूमि पर धारा 16(ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आसूराम ने गै0मु0 नदी की भूमि पर जो कब्जा किया था वह एक अतिक्रमी के रूप में था तथा बाद में तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी की खातेदारी गलत रूप से दे दी गयी। इसलिए जब मु0पानी को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे फिर वादिनी पतासी को खातेदारी अधिकार कैसे प्राप्त हो सकते है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने निवेदन दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण तनकीयात का पूर्ण विवचेन करते हुये निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करते हुये अपीलीय न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस किया एवं पत्रावली तथा उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6. पत्रावली तथा उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में मूल विवाद खातेदारी अधिकार व मुआवजे का है। वादिनी पतासी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए, 187 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जिससे स्पष्ट होता है कि वादिनी विवादित भूमि की खातेदार नहीं है अन्यथा वह धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत (खातेदारी घोषणा) का दावा क्यों करती? रेलवे की सुरक्षा दीवार जिस भूमि पर बनाई गई है वह किसी के खातेदारी की भूमि नहीं होकर गै0मु0 नदी की भूमि है। मु0 पानी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे। यदि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज हो भी गया तो वह गैर कानूनी तौर पर दर्ज हुआ है। यद्यपि वादिनी पतासी के नाम खसरा नं0 1502 की 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज है जो उसने मु0 पानी बेवा आसूराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी, किन्तु गैर0मु0 नदी पेटा की भूमि में तहसीलदार द्वारा मु0 पानी को खातेदारी अधिकार ही गैर कानूनी रूप से दिये गये है। क्योंकि तहसीलदार को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी आधार पर वादिनी पतासी को भी विवादित आराजी पर कोई खातेदारी

अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। अतः जब खातेदारी अधिकार ही सिद्ध नहीं होते तो वादिनी मुआवजा राशि प्राप्त करने की हकदार भी नहीं मानी जा सकती है। खसरा नं0 1502 जो गैर मु0 नदी की आराजी है उस पर धारा 16(ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है और इस आधार पर नदी, नाले की भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मु0 पानी बेवा आसूराम के नाम गै0मु0 नदी की भूमि के खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध दिये गये है। इस प्रकार विधि विरूद्ध प्राप्त खातेदारी भूमि का बेचान किया गया वह प्रारम्भः ही निष्प्रभावी ही कहलायेगा। अतः अवैध हस्तांतरण के आधार पर वादिया को कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> (iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2031–34 के अलवोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नं0 1502 रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा भूमि गै0मु0 नदी रिकार्ड में दर्ज है।

7. इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में गै0मु0 नदी की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ‘‘गैर मुमकिन नदी–नाला’’ किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने प्रकरण का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत ही अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2000 पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

8. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2000 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य